

बिहार सरकार  
कला, संस्कृति एवं युवा विभाग

ज्ञापांक संख्या-5पुरा/अ-4-01/10.....

पटना, दिनांक.....

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,  
वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना।

विषय:- बिहार विरासत विकास समिति, पटना को राज्य के मूर्त एवं अमूर्त विरासत के सर्वेक्षण, सूचीकरण प्रकाशन एवं स्थापना व्यय के लिए वित्तीय वर्ष 2013-14 में योजनान्तर्गत ₹ 50,00,000/- (पचास लाख रुपये) मात्र सहायक अनुदान की स्वीकृति।

आदेश:- स्वीकृत।

2. इस राशि का विकलन योजना आय व्ययक शीर्ष "2205 कला एवं संस्कृति-103-पुरातत्व विज्ञान-0101-पुरातत्व निदेशालय-3106 सहायक अनुदान-वेतनादि के अलावा" विपत्र कोड पी0-2205001030101 मांग सं0-08 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2013-14 में उपबंधित राशि से किया जायेगा।

3. राशि की निकासी विशेष कार्य पदाधिकारी, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, बिहार पटना द्वारा सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से की जायेगी तथा बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से बिहार विरासत विकास समिति, पटना को भुगतान किया जायेगा।

4. स्वीकृत राशि का लेखा जोखा अलग रखा जायेगा। वित्त विभाग के ज्ञापांक-13158 दिनांक 25.10.1975 में सन्निहित शर्तों के आलोक में भारतीय अंकेक्षण एवं बिहार सरकार के अंकेक्षण विभाग को स्वीकृत राशि के अंकेक्षण का पूर्ण अधिकार होगा। सम्पूर्ण राशि या इसके किसी अंश का दुरुपयोग प्रमाणित होने पर संस्था से वसूलनीय होगी।

5. स्वीकृत राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र विहित प्रपत्र में अंकेक्षण प्रतिवेदन एवं व्यय विवरणी कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, बिहार, पटना को तीन माह के अन्दर निश्चित रूप से भेजना आवश्यक होगा।

6. दिनांक 18-02-2014 को सम्पन्न मंत्रिपरिषद् की बैठक में इसकी स्वीकृति दी गई है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/-

(अशोक कुमार मल्लिक)  
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक.....

पटना, दिनांक,

प्रतिलिपि:- कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

(अशोक कुमार मल्लिक)  
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक..... 657

पटना, दिनांक, 24/2/14

प्रतिलिपि:-सचिव कोषांग/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/ वित्त विभाग, बजट शाखा /वित्त अंकेक्षण विभाग, बिहार, पटना/ निदेशक पुरातत्व/विशेष कार्य पदाधिकारी, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/प्रशाखा पदा0-1/5/बजट सहायक/ कार्यालय लेखापाल (दो प्रति में)/कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, बिहार, पटना /कार्यपालक निदेशक बिहार विरासत विकास समिति, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

24/2/14  
(अशोक कुमार मल्लिक)  
सरकार के संयुक्त सचिव।